



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023

श्रावण 30, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 424/79-वि-1-2023-1-(क)-9-2023

लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 2023 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 17 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 28 जून, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

No. 424 (2)/LXXIX-V-1-2023-1(ka)-9-2023

Dated Lucknow, August 21, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 17, 2023. The Uecha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT)

ACT, 2023

(U.P. Act No. 9 of 2023)

-[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy Fourth Year of the Republic of India as follows:-

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Act, 2023.

Short title and Commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from June 28, 2023.

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") after serial no. 33, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 33 for the newly established Universities the following serial numbers shall be inserted, namely :-

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
34	K.M. (Krishna Mohan) University Mathura, Uttar Pradesh	Shri Mohan Singh Shiksha Sansthan, Pali Dungra, Saunkh, Mathura, Uttar Pradesh
35	Major S.D. Singh University, Fatehgarh, Farrukhabad, Uttar Pradesh	Shri Babu Singh Daddu Ji Educational Trust, Civil Lines Fatehgarh, Farrukhabad, Uttar Pradesh

3. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of K.M. (Krishna Mohan) University Mathura, Uttar Pradesh or Major S.D. Singh University, Fatehgarh, Farrukhabad, Uttar Pradesh by order published in the Gazette direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of State Legislature, as soon as may be, after it is made.

Repeal and saving 4.(1) The Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2023 and The Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Ordinance, 2023 are hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 9 of 2023, and 10 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of two new Private Universities namely:- (i) K.M. (Krishna Mohan) University, Mathura, Uttar Pradesh; and (ii) Major S. D. Singh University, Fatehgarh, Farrukhabad, Uttar Pradesh it was decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 9 of 2023) and the Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 10 of 2023) were promulgated by the Governor on June 28, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 12 सन्
2019 की
अनुसूची 2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची 2 में क्रम संख्या 33 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 33 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
34	के० एम० (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश	श्री मोहन सिंह शिक्षा संस्थान, पौली डूंगरा, साँख, मथुरा, उत्तर प्रदेश
35	मेजर एस०डी० सिंह विश्वविद्यालय, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश	श्री बाबू सिंह दहू जी एजूकेशनल ट्रस्ट, सिविल लाइन्स, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर
करने की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार के० एम० (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय, मथुरा उत्तर प्रदेश अथवा मेजर एस० डी० सिंह विश्वविद्यालय, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यक्षीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और
व्यावृत्ति

4-(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2023 तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवा संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 9 सन्
2023, तथा
10 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

दो नये निजी विश्वविद्यालयों, अर्थात् (एक) के०एम० (कृष्ण मोहन.) विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश और (दो) मेजर एस० डी० सिंह विश्वविद्यालय, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2023) तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवा संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।